कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email-dfobag-forest-uk.nic.in/ dfo_bageshwar@rediffmail.com
दूरभाष एवं फैक्स नं0: 05963-220249
वन मित्र काल सेटर– 9208008000

पत्रांक 334 / 12-1-2 बागेश्वर दिनांक : 26/07 /2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊ वृत्त,
उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।

विषय – **जनपद बागेश्वर में बिलखेत–गैराड–भैरूचौबटठा मोटर मार्ग का विस्तार मोटर मार्ग निर्माण हेतु (प्रस्ताव संख्या–10596 / 2015)**

सन्दर्भ– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक सं0 2207 / FP/UKROAD/10596/2015 दिनांक 16.03.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है, कि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा उक्त प्रस्ताव में जो आपत्तिया लगायी गयी है प्रस्तावक विभाग द्वारा बिन्दुवार निराकरण कर प्रस्ताव अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

बिन्दु सं0 1	बिन्दु सं0 03 के प्रतिउत्तर में राज्य सरकार प्रस्तावित ग्राम को दोनों छोर से जोड़ने के बजाय निकटतम बिन्दु से जोड सकती है। अतः राज्य सरकार तदानुसार प्रस्ताव को पुनरीक्षित कर प्रस्तुत करे।	प्रस्तावक विभाग द्वारा बिन्दु सं0 3 के प्रतिउत्तर में अवगत कराया गया है कि ग्रामवासियों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा पूर्व सर्वे में ही मोटर मार्ग का निर्माण करने हेतु अनुरोध किया जा रहा है, क्योंकि इस समरेखण में मोटर मार्ग का निर्माण होने से तोक– सुकराडी (एस0सी0 / एस0टी0 बाहुल्य) तथा तोक– घटगाड (एस0सी0 / एस0टी0 बाहुल्य) एवं राजस्व ग्राम–भैयचौबट्टा (अम्बेडकर ग्राम) जुड़ेगे। जबकि दूसेर छोर से मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने में केवल राजस्व ग्राम– भैरूचौबट्टा (अम्बेडकर ग्राम) ही जुडेगा तथा तोक–सुकराडी (एस0सी0 / एस0टी0 बाहुल्य) तथा तोक –घटगाड (एस0सी0 / एस0टी0 बाहुल्य) असंयोजित ही रहेंगें। उक्त के सम्बन्ध में ग्रामवासियों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रेषित पत्रों की छायाप्रतियॉ संलग्न की जा रही है। **(संलग्न सं0–1 से 5 तक)।**

भवदीय,

01 c

(हिमांशु बागरी)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

"D:\samany 2018-19\land transfer\letter land tansfare.p.w.d kapkot .docx"